



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 24/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा - विक्रेता  
1. रीता मुनी तिडू वो 2. राजेश भेंगरा - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
05.12.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा दोनों पिता पुसा भेंगरा ग्राम-डोड़मा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने रीता मुनी तिडू पति श्री राजेश भेंगरा वो 2. राजेश भेंगरा पिता स्व० इमानुएल भेंगरा ग्राम-कोकेया, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डोड़मा</td><td>10</td><td>54</td><td>927</td><td>0.22</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 241 दिनांक 21.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि मौजा डोड़मा खाता सं०-54 से संबंधित है कि उन्हें खाता सं० 54 का प्लॉट कि उन्हें खाता सं०-54 का प्लॉट 928 की भूमि को बेचना था परन्तु भूलवश प्लॉट 927 दर्ज हो जाने के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	डोड़मा	10	54	927	0.22	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
डोड़मा	10	54	927	0.22								